न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 38 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मीरा पत्नी सिमरथराम वगैरा और प्रार्थना पत्र वर्णित संख्या 2 से 26 तक समस्त खातेदार।		01.कमल किशोर बाहेती पुत्र चुन्नीलाल जाति बाहेती शास्त्रीनगर जोधपुर वगैरा एव प्रार्थना सख्या 2से 24 तक समस्त खातेदार। 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झवंर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति —

01.प्राथीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिह राजपुरोहित ।

02.अप्रार्थीगण की और कोई अधिवक्ता उपस्थिति नही ।

आदेश दिनांक :— 27/12/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बोरानाडा तहसील झवंर के खसरा नम्बर 287, 290, 289, 285, 288 मे स्थित है एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 286, 286/3, 286/4, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11 प्रार्थीगण के खसरान की भूमि के चिपते हुए आई हुई है जिसके मूल खसरा नम्बर 286 है। वर्तमान मे ग्राम बोरानाडा तहसील झवंर के खसरा नम्बर 263 से डामर सडक और खसरा नम्बर 264 कटानी रास्ता है जो जमाबन्दी मे गैर मुमकीन रास्ता है इन दोनो के बीच मे सरकारी पडत की भूमि आई हुई है प्रार्थीगण के आने जाने व आवागमन हेतु वर्तमान मे बनी डामरीकृत सडक एव खसरा नम्बर 264 कटानी रास्ते होकर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 286 एव बटा नम्बर के अन्दर से होकर खसरा नम्बर 285 तक आवागमन हेतु रास्ता है बाद मे उक्त रास्ता खसरा नम्बर 290, 289, 288, व 287 तक जाता है एव सभी प्रार्थीगण के खेतो मे आने जाने व आवागमन का एकमात्र रास्ता यही है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो मे आवागमन करते है जो रास्ता नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से बनाया गया है। खसरा नम्बर 286 व उसके बटटा नम्बर मे प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता लगभग 50—60 वर्ष से लगातार है एव उक्त रास्ते को मुख्य सडक से जोडना आवश्यक है क्योकि इसके पश्चात ही प्रार्थीगण को आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध हो सकता है अन्यथा प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने को रास्ता बन्द हो जायेगा। प्रार्थीगण के खसरान की भूमि मे आने जाने हेतु 15 फीट चौडा रास्ता मुख्य सडक से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 285, 290, 289, 288, 287 ग्राम बोरानाडा मे जो लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है उसके अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते उपलब्ध करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं हुए । तहसीलदार झंवर द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिशल हैं । तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट भी प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 27.08.2024 अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 286/3 में से 15 फुट चौड़ाई अनुसार रास्ते दिया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 286/3 में से मौका फर्द दिनांक 27.08.2024 अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाता हैं । उसकी कृषि भूमि की डीएलसी दर से तहसीलदार झॅवर गणना कर प्रार्थीगण को उपलब्ध करवायें तथा उक्त राशि प्रार्थीगण तहसीलदार झॅवर के समक्ष चैक अथवा डीडी अप्रार्थीगण के हिस्सो अनुसार बनाकर तहसीलदार झॅवर के समक्ष पेश करें । उक्त राशि तहसीलदार झवर के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार झवर राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । मौका फर्द दिनांक 27.08.2024 के अनुसार 15 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। मौका फर्द दिनाक 27.08.2024 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी